भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1157

09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं

1157. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्नाटक राज्य में चल रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाला जिला-वार कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कर्नाटक राज्य सहित देश में वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी में सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत किसान को राजसहायता दी जाती है।

इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से आज तक कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र का राज्यवार विववरण एवं लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): नीति आयोग ने वर्ष 2020 से पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- यह स्कीम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे-खेत पर जल उपयोग दक्षता में सतत सुधार करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार अवसर सृजित करना आदि को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।
- सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से जल की बचत में सहायता मिली है। विभिन्न राज्यों में जल की बचत हुई है जिसमें आंध्र प्रदेश में 30 से 50% तक, कर्नाटक में 50%, तमिलनाडु में 30%, झारखंड में 70%, उत्तर प्रदेश में 40-50% तक, पंजाब में 50% तक, बिहार में 40% तक बचत हुई है।
- जल उपयोग दक्षता में लगभग 30% से 70% तक सुधार हुआ है।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित हुए हैं।
- किसानों की आय में 10% से 69% तक की वृद्धि हुई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1157

अनुबंध-I

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 (03.02.2021 तक) पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया जिला-वार क्षेत्र

क्र.सं.	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	लाभान्वित किसानों की सं.
1	बंगलौर (यू)	3822	4154
2	बंगेलौर (आर)	9378	10870
3	बगालकोटे	49288	51954
4	बेलगाम	78483	75249
5	बेल्लारी	43495	36298
6	बिडर	41067	39042
7	बिजापुर	61564	79391
8	कामराजनगर	18314	22113
9	चिक्काबल्लापुर	20801	21931
10	चिकमगलुर	29435	36910
11	चित्रदुर्ग	49163	52290
12	डी. कन्नाड	3500	5989
13	देवानगीर	53014	67676
14	धारवाड	26013	31489
15	गडग	19793	19986
16	गुलबर्गा	76382	55557
17	हसन	42726	51858
18	हावेरी	59287	68141
19	कोडागु	6163	7866
20	कोलार	24575	24692
21	कोपाल	29078	29584
22	मंडया	37956	44920
23	मैसूर	70155	85911
24	रायचूर	27413	24686
25	रामनगर	20725	27046
26	शिमोगा	57787	66733
27	टुमकुर	38936	44456
28	उडुपी	4358	4437
29	यू.कन्नाडा	13554	18086
30	यादगिर	38382	29170
	कुल	**1054607**	**1138482**